International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 5; September 2018; Page No. 28-32

सतना जिले में कोल जनजाति के शैक्षणिक विकास का समीक्षात्मक अध्ययन

रमेश प्रसाद कोल
शोधार्थी, राजनीतिशास्त्र विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश
भारत में शिक्षा का प्रसार बिलकुल अनियोजित तरीके से हुआ है तथा इसका विस्तार करते समय भविष्य की आवश्यकताओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। जनजातीय शिक्षा योजना भी इसी जल्दबाजी का शिकार हुई है। शिक्षण–प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की सुनियोजित तरीके को अपेक्षाकृत देर से अपनाया गया है। भारत में 1950 से पहले जनजातीय लोगों को शिक्षित करने के लिये कोई प्रत्यक्ष योजना नहीं थी। जनजाति के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जनजातीय समाज अनेक प्रकार की गंभीर समस्याओं से ग्रस्त है। अतः समस्याओं के समाधान हेतु जिले में क्रियाशील गैर सरकारी संगठनों का प्रमुख उद्देश्य इन्हीं समस्याओं का निराकरण करना है, जिसके कारण शिक्षा के प्रति गैर सरकारी संगठनों की अभिरूचि अपेक्षाकृत उदासीन है, क्योंकि उनका अधिकतर समय आर्थिक समस्याओं के सुलझाने में ही व्यतीत हो जाता है। अशिक्षा के कारण महिलायें व्यवसायिक शिक्षण–प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाती हैं और उनका विकास अवरूद्ध हो जाता है एवं मजबूरीवश श्रमिक कार्य में ही उन्हें संलग्न रहना पड़ता है। जनजातीय शिक्षा के विकास में भाषा भी एक बड़ी बाधा है। जनजातीय भाषायें मौखिक हैं, जिसकी कोई लिपि नहीं है, जबकि शिक्षा एवं अन्य कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषा में तैयार किये जाते हैं जिसके कारण जनजाति में रूचि की कमी हो जाती है।

मूल शब्द : सतना जिला, कोल जनजाति, शिक्षा, समीक्षात्मक अध्ययन।

प्रस्तावना
विज्ञान के युग में विकासोन्मुख देश प्रगति के पथ पर तीव्रगति से अग्रसर है, वहीं आज भी वनों में ऐसे लोग निवास करते हैं, जो आधुनिक उपलब्धियों से अछूते, आधुनिकरण के वर्तमान स्वरूप से सर्वथा अपरिचित, कृषि, उद्योग धन्धों, शिक्षा आदि से अनभिज्ञ। वे अपने सीमित साधनों से मात्र जीवनयापन कर रहे हैं और आज भी विज्ञान के अविष्कार व आधुनिक सभ्यता की होड़ से अपरिचित ही हैं। ऐसे ही अपरिचित लोगों का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति, आदिमजाति या वन्य जाति के अन्तर्गत किया गया है।

भारत वर्ष में कुल 532 जनजातियाँ निवास करती हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की कुल संख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.08 प्रतिशत है। इन्हें भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं इतिहास की बहुमूल्य धरोहर माना जा सकता है, जनजातियों को वन्य जाति, आदिवासी, आदिमजाति, गिरिजन आदि नामों से पुकारा जाता है। प्रसिद्ध नृतत्व शास्त्री रिजले, लेके, ग्रिगसन, सोबर्ट, टेलेंट्रस, सेंजविक, मार्टिन तथा भारतीय समाज सुधारक श्री ए0वी0 ठक्कर ने जहाँ इन व्यक्तियों को आदिवासी कहा है, वहीं हट्टन ने इन्हें आदिमजाति (प्रीमिटिव ट्राइब्स) नाम से सम्बोधित किया है। समाज शास्त्री जी0एस0 घुरिये ने तो इन्हें ''पिछड़े हिन्दू'' भी कहा है।

वास्तव में ''जनजाति'' व्यक्तियों का एक वह समूह है, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में आवास या विचरण करता है। और जो किसी आदि पूर्वज को ही अपना ''उद्गम'' मानता हो तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति होती है और जो आज भी आधुनिक सभ्यता के प्रभावों से परे हैं।

विभिन्न विद्वानों और समाजशास्त्रियों ने जनजातीय संस्कृति पर अपना मत इस प्रकार दिया है :

इम्पीरियल गजेटियर के अनुसार, ''जनजातीय परिवार या परिवारों का ऐसा समुदाय है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जो एक सामान्य बोली बोलते हैं, जो एक सामान्य भू–भाग पर रहने का दावा करता हो, और जो हमेंशा अन्तर्विवाह नहीं करता, भले ही प्रारम्भकर्ता रहा हो (नदीम हसनैन, 2004)[1]

गिलीन एवं गिलीन के अनुसार जनजाति किसी भी ऐसे स्थानीय समुदाय के समूह को कहा जाता है जो एक सामान्य भू–भाग पर निवास करता है, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का व्यवहार करता हो (उपाध्याय एवं शर्मा, 1998)[2]

उपरोक्त परिभाषों से स्पष्ट है कि जनजाति एक निश्चित भू–भाग में रहने वाला एक आदिम मानव समूह है, जो एक सामान्य भाषा, धर्म प्रथा, परम्परा, व्यवसाय और अन्य सामाजिक नियमों के द्वारा एक सूत्र में बंधकर एक सामाजिक संगठन को जन्म देता है। भारतीय समाज के निर्माण में ग्रामीण और नगरीय संस्कृतियों के अतिरिक्त जनजातिय (आदिवासी) संस्कृति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि यह कहा जाये कि आदिवासी संस्कृति की नींव पर ही भारतीय संस्कृति खड़ी है, तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

शालेय शिक्षा
शालेय शिक्षा के अंतर्गत प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखण्डों में सभी शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2001–02 में विभाग द्वारा 970 कनिष्ट प्राथमिक, 11.67 हजार प्राथमिक शालायें, 3.84 हजार माध्यमिक शालायें, 340 हाईस्कूल एवं 446 उच्चतर माध्यमिक शालाओं का संचालन किया जा रहा है। इनके अलावा 14 क्रीड़ा परिषद, 9 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा 3 कन्या परिसर संचालित हैं।

छात्रावास एवं आश्रम शालाएँ
अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता बढ़ाने तथा शिक्षा के प्रति रूचि

जाग्रत करने हेतु विभाग द्वारा छात्रावास एवं आश्रम संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में 1146 पूर्व माध्यमिक छात्रावास (34.27 हजार स्थान), 82 मैट्रिकोत्तर छात्रावास (4.67 हजार स्थान) तथा 614 आश्रम शालायें (28.6 हजार स्थान) संचालित हैं, जिनमें छात्र–छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध हैं। छात्रावास एवं आश्रम में रहने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को 1 अगस्त 2002 से बालकों को 350 रूपये तथा बालिकाओं को 360 रूपये की दर से 10 माह की शिष्यवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा इन्हें निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति भी दी जाती है। इन विद्यार्थियों के लिये राज्य सरकार ने रियायती दर पर खाद्यान्य उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की है।

छात्रगृह योजना

जिन आदिवासी विद्यार्थियों को छात्रावासों में प्रवेश नहीं मिल पाता उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश में विभाग द्वारा छात्रगृह योजना चालू की गई है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा ग्यारहवीं और उससे ऊपर की कक्षाओं में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है। एक छात्रगृह के लिये कम से कम, पॉच विद्यार्थियों का होना आवश्यक है। वर्ष 2001–2002 में 4596 छात्रों के लिये 849 छात्रगृह संचालित थे जिन पर 35–95 लाख रूपये खर्च हुए।

उत्कृष्ठ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना

राज्य में प्रतिभाशाली अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को श्रेष्ठ स्तर की शिक्षा देने के उद्देश्य से विशेष कोचिंग के माध्यम से निपुर्णता बढ़ाने के लिये प्रत्येक जिला स्तर पर 50–50 सीट के एक बालक व एक बालिका छात्रावास उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष 2001–2002 में 692 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

दिल्ली में उच्च शिक्षा हेतु आवास की व्यवस्था

अनुसूचित जनजातियों के जो विद्यार्थी दिल्ली में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिये राज्य सरकार के व्यय पर आवास व्यवस्था के अतिरिक्त 2000 रूपये का एक अनुदान तथा विशेष दर पर छात्रवृत्ति देने की योजना 2003–04 से लागू की गई है।

छात्रवृत्तियाँ

अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति दी जाती है। अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को शैक्षणिक प्रोत्साहन देने के लिये पांचवीं कक्षा पास छठवीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 500 रूपये की राशि देने का प्रावधान है। वर्ष 2001–02 में कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 25.57 हजार छात्राओं को लाभ पहुॅचाया गया। राज्य छात्रवृत्ति के अंतर्गत बालिकाओं को कक्षा तीन से तथा बालकों को कक्षा 6 से राज्य छात्रवृत्ति का पात्र माना गया है।[4]

अशासकीय संस्थाओं को अनुदान

अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक उत्थान के लिये कार्य करने वाली अशासकीय संस्थाओं को विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2002–03 हेतु 946 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।[5]

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

प्रदेश में 89 आदिवासी विकासखण्डों की प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्तमान में 14.65 लाख विद्यार्थियों को प्रतिदिन ग्राम पंचायतों के माध्यम से मध्यान्ह भोजन वितरण का कार्यक्रम संचालित है।[4]

अध्ययन की आवश्यकता

जनजातियों के विकास के लिये संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं संवैधानिक व्यवस्थाओं के द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित कर सरकार योजनाओं पर कराड़ों रूपये व्यय कर रही है। जनजातियों के लिये शासकीय सेवाओं एवं शिक्षा हेतु जो स्थान सुरक्षित किये गये हैं वे रिक्त पड़े हैं। शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत जनजातीय समाज आरक्षण का पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त करने में असमर्थ प्रतीत होते हैं। राष्ट्र की प्रत्येक इकाई का विकास महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय समाज में कोल जनजाति एंव विशिष्ट स्थान रखती है। इसके विकास के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण, सम्पूर्ण राष्ट्र के विकास की कल्पना करना निरर्थक सिद्ध होगी। शिक्षा सामाजिक विकास का एक सशक्त माध्यम है। शिक्षा की न्यूनता जनजातीय विकास को अपेक्षित गति प्रदान नहीं कर पा रही है।

शिक्षा का तात्पर्य केवल पुस्तकीय ज्ञान से ही नहीं है अपितु समाज की विभिन्न संस्थायें अपने संचित अनुभवों के द्वारा व्यक्ति को जो व्यवहारिक ज्ञान देती है, उसका भी शिक्षा में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है, महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का विकास करना है (अग्रवाल, 2007)[3]

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तावित शोध कार्य के निम्न उद्देश्य हैं :–

1. कोल जनजाति का शिक्षा का स्तर ज्ञात करना।
2. जनजाति समाज की प्राथमिक समस्याओं को ज्ञात करना।
3. कोल जनजाति की आधुनिक और पारम्परिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में आने वाली समस्याओं को ज्ञात करना।

अध्ययन का महत्व

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश के जिला सतना को चयनित किया गया है। जिले की गौरवमयी गाथा इतिहास के पृष्ठों पर उल्लेखित है। विभिन्न रियासतों के उतार चढ़ाव को समेटे हुये भारतीय स्वतंत्रता में उल्लेखनीय योगदान के रूप में पहचान स्थापित कर सतना जिला भारत के नक्शें पर अंकित है। वर्तमाान स्वरूप 8 तहसीलों – रघुराजनगर, अमरपाटन, रामपुर बाघेलान, नागौद, मैहर, रामनगर, मझिगवां एवं उंचेहरा से निर्मित प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

शोध प्रविधि

सतना जिले की आठ तहसीलों की मतदाता सूची प्राप्त कर कोल जनजाति के सदस्यों का उद्देश्यपूर्ण दैवनिदर्शन के द्वारा चयन किया जावेगा। मतदाता सूची के प्रत्येक परिवार के एक पुरूष व एक स्त्री जिसकी 25 वर्ष की अवस्था है लगभग 300 स्त्री पुरूष से अवलोकन पद्धति, साक्षात्कार के माध्यम से साक्षात्कार अनुसूची में तथ्य एकत्र किये जायेंगे। अध्ययन के उद्देश्य एवं उपकल्पना के परीक्षण हेतु सांख्यिकी का प्रयोग किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रलेखनीय विश्लेषणों की सहायता लेते हुए निम्न प्रलेखों की जॉच की जाएगी, उपलब्ध साहित्य यथा पुस्तकें, रिपोर्ट जनगणना रिकार्ड,

आदिवासी कल्याण विकास के रिकार्ड, जिला गजेटियर शिक्षा विभाग के प्रतिवेदन आदि।

कोल जनजाति : ऐतिहासिक परिचय

कोल जनजातियों के परम्परागत स्वरूप पर टिप्पणी करते हुए डॉ. नगेन्द्र लिखते हैं ''प्राचीन से इस अंचल में कोल, भील, गोड़ आदि जातियों का प्रभुत्व था। ये अंचल की स्वतंत्र एवं आदिवासी जातियाँ थी। आरम्भ में ये अर्द्धनग्न रहकर जंगलों में शिकार किया करते थे ये बहुत बहादुर व खुंखार जातियाँ थीं। प्राचीन काल में इन्हें पराजित कर छत्रिय राजाओं ने अपने शासन की नींव डाली तथा इन्हें गुलाम बनाया। फलतः इन जातियों की सामाजिक व सांस्कृतिक परम्परा क्रमशः विघटित होती गई, चूंकि ये एकान्त जंगलों में निवास करते थे इसलिए इनके रक्त में मिश्रण बहुत कम हुआ और इनकी सामाजिक परम्परा भी विच्छिन्न नहीं हो पाई। इनके जन्म, विवाह और मरण के जो भी नियम थे वे आज भी बहुत कुछ उसी रूप में विद्यमान हैं। इनके सांसारिक नियम हिन्दुओं से बहुत ही अलग है। इनका सामाजिक जीवन प्रकृति के आधीन है।

सतना जिले की भौगोलिक स्थिति

सतना जिला विन्ध्यन उच्च भूमि के अन्तर्गत रीवा पठार का पश्चिमी भूभाग हैं । प्रशासकीय दृष्टि से यह मध्य प्रदेश के रीवा संभाग का एक प्रमुख जिला है जो 2 अप्रैल 1948 तक भूतपूर्व रीवा राज्य तथा 10 अन्य छोटी एवं सनद रियासतों को मिलाकर बनाया गया था।

विस्तारः

जिले का विस्तार $23^0.58'$ उत्तरी अक्षांश से $25^0.12'$ उत्तरी अक्षांश तक तथा $80^0.12'$ से $81^0.23'$ पूर्वी देशांतर तक है, जिसकी समुद्र तल से ऊँचाई 217 है। तथा पूर्व चौड़ाई लगभग 85 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 7502 वर्ग कि.मी. है जो सम्पूर्ण मध्यप्रदेश का 1.68 प्रतिशत है।

सतना जिले की उत्तरी, पूर्वी एवं पश्चिमी सीमायें प्रायः प्रशासकीय है। किन्तु दक्षिण में सोन तथा उसकी सहायक महानदी लगभग 110 कि.मी. की लम्बी सीमा निर्धारित करती हैं। जिले के उत्तर में उत्तर प्रदेश का बांदा जिले की नरैनी तहसील स्थित हैं इसके पूर्व में रीवा जिले की सिरमौर तथा हुजूर तहसीलें तथा सीधी जिले की गोपद बनास तहसीलें है। जिले की पश्चिमी सीमा पन्ना जिले के अजयगढ़, पन्ना, पवई तहसीलों से परिबद्ध है। इसके दक्षिण में जबलपुर जिले की मुड़वारा तथा शहडोल जिले की बांधवगढ एवं ब्यौहारी तहसीलें स्थित है।

समग्र एवं निदर्शन

निदर्शन पद्धति में सभी इकाईयों का अध्ययन करके समग्र में से कुछ इकाईयों को चुना जाता है। जो समस्त इकाईयों का भली–भांति प्रतिनिधित्व करती हैं, कुछ को देखकर या परीक्षा कर सबके बारे में अनुमान लगा लेना ही निदर्शन है। इस पद्धति की आधारभूत विशेषता है कि कुछ की विशेषताएँ सबकी आधारभूत विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व करती हैं, बशर्ते कुछ का चुनाव ठीक से किया जाये।

विषय के अध्ययन के लिए निम्न चरणों से गुजरना पड़ता है

प्रथम – अध्ययन विषय वस्तु का निर्धारण।
द्वितीय – अध्ययन में समग्र का निदर्शन।
तृतीय – समग्र का विभाजन।
चतुर्थ – समग्र से आवश्यकतानुसार निदर्शन का चुनाव ।

समग्र का विभाजन दो प्रकार से किया जाता है–
1. वे गाँव जहाँ जनजातियों की कुल जनसंख्या 300 से अधिक है।
2. वे गाँव जहाँ जनजातियों की कुल जनसंख्या 300 से कम है ।

इस प्रकार आवश्यकतानुसार समग्र का विभाजन कर जनजातीय बहुल गाँवों से 10 गाँवों का चयन निदर्शन कि दैव निदर्शन पद्धति के आधार पर किया गया है अध्ययन के लिए चयनित गॉव इस प्रकार हैं– महदेवा, अहरीटोला, रकौंधा, बिहरा, इंटवा, भदनपुर, चूँद, भटनवारा, पतेरी एवं हनुमानटोला।

इन प्रत्येक गॉवों से 30–30 जनजातीय परिवारों का चयन भी दैव निदर्शन पद्धति के आधार पर किया गया है।

तालिका 1: अध्ययन ग्रामों की सूची एवं सामान्य विवरण

क्र.	गांव का नाम	कुल क्षे0 वर्ग किमी. में	परिवारों की कुल संख्या	कुल जनसंख्या	कुल जनजातीय जनसंख्या	कुल जनजातीय पुरूष	कुल जनजातीय महिला	सतना से दूरी किमी.
1	महदेवा	2586.1	278	7056	1935	1133	802	5
2	अहरीटोला	2457.6	265	6521	1765	1052	713	15
3	रकौधा	2342	198	6235	1821	1120	701	35
4	बिहरा	2621	297	7562	3215	1756	1459	32
5	इंटवा	2956	289	8241	3921	2158	1763	52
6	भदनपुर	2561	178	5687	3104	1658	1446	48
7	चूँद	2349	192	4985	2461	1498	963	29
8	भटनवारा	3015	206	4526	2185	1253	932	25
9	पतेरी	2236	195	3924	1853	989	864	4
10	हनुमानटोला	5628	365	9872	3086	1723	1363	40

स्त्रोत – जिला संख्यिकी पुस्तिका[7], सतना 2011

तथ्यों का विश्लेषण तथा विवेचन

सामाजिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण चरण विभिन्न विधियों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन करना है। प्रस्तुत शोध कार्य में अध्ययन से सम्बंधित तथ्य जो केवल कच्ची सामग्री की तरह होते हैं। विश्लेषण और विवेचन के द्वारा उन्हें व्यवस्थित रूप दिया गया। तथ्यों के विश्लेषण और विवेचन के द्वारा प्राप्त तथ्यों का अर्थ निकालने एवं उपकल्पना पर प्रकाश डालने के लिये किया गया। इसके अतिरिक्त तथ्यों का विवेचन करने के दौरान ही वह भी स्पष्ट किया गया कि किसी विशेष दशा के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। इस प्रकार विभिन्न तथ्यों के बीच कार्यकारण का सम्बंध इसी स्तर पर स्पष्ट किया गया।

तालिका 2: शिक्षा का स्तर का अध्ययन

शिक्षा का स्तर	संख्या	प्रतिशत
प्राथमिक	150	50.00
मध्यमिक	12	04.00
अशिक्षित	138	46.00
योग	300	100.00

स्त्रोत : क्षेत्रिय सर्वेक्षण से उपलब्ध जानकारी पर आधारित[6]।

सारिणी से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाता की पूर्व पीढ़ी के सदस्य 150 परिवार जिनका प्रतिशत 50.00 है, ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा ग्रहण की है जबकि 12 परिवार अर्थात 4.00 प्रतिशत ने माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त की है पूर्व पीढ़ी की स्त्रियों की शिक्षा का प्रतिशत पुरूषों की तुलना में अपेक्षाकृत न्यून दृष्टिकोचर होता है क्योंकि स्थानीय स्तर पर शालाओं का अभाव, निर्धनता, गृहकार्य में संलग्नता जबकि पुरूष सदस्य संभवतः इसलिये शिक्षा प्राप्त कर सके क्योंकि आस–पास स्थित शालाओं में पढ़ना कम कठिनाईदायक, पुत्र को प्राथमिकता, आर्थिक कार्य की विवशता आदि के लिये पुरूष का पढ़ना आवश्यक है।

तालिका 3: शिक्षा केन्द्र का अध्ययन

शिक्षा की व्यवस्था	संख्या	प्रतिशत
प्राथमिक	76	25.00
मध्यमिक	90	30.00
उच्च.माध्य.	72	24.00
उच्च	62	21.00
योग	300	100.00

स्त्रोत : क्षेत्रिय सर्वेक्षण से उपलब्ध जानकारी पर आधारित[6]।

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाता जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं, वहॉ शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की उपलब्धता शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जैसा कि ज्ञात होता है कि 76 उत्तरदाता अर्थात 25 प्रतिशत के क्षेत्र में माध्यमिक स्तर एवं 72 उत्तरदाताओं अर्थात 24 प्रतिशत के क्षेत्र में उच्च. माध्य. स्तर एवं 62 उत्तरदाता अर्थात 21 प्रतिशत के क्षेत्र में उच्च शिक्षा अर्थात महाविद्यालयीन शिक्षा केन्द्र स्थित हैं।

तालिका 4: अशिक्षित होने के कारण का अध्ययन

अशिक्षित होने के कारण	संख्या	प्रतिशत
आय में कमी	136	45.00
अरूचि	54	18.00
शिक्षा सुविधाओं का अभाव	110	37.00
योग	300	100.00

स्त्रोत : क्षेत्रिय सर्वेक्षण से उपलब्ध जानकारी पर आधारित[6]।

उपर्युक्त सारिणी से उत्तरदाताओं के परिवार में अशिक्षित होने के कारणों को ज्ञात करने पर 136 उत्तरदाता अर्थात 45 प्रतिशत ने अपनी आय में कमी, 54 उत्तरदाता अर्थात 18 प्रतिशत ने अरूचि तथा 110 उत्तरदाता अर्थात 37 प्रतिशत ने शिक्षण सुविधाओं का अभाव को उत्तरदायी माना।

तालिका 5: शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन

उत्तरदाता की शिक्षा का स्तर	स्त्री	प्रतिशत	पुरूष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
निरक्षर	86	29.00	86	29.00	172	58.00
प्राथमिक	24	8.00	24	8.00	48	16.00
माध्यमिक	15	5.00	15	5.00	30	10.00
उच्च.माध्य.	15	5.00	15	5.00	30	10.00
स्नातक	10	3.00	10	3.00	20	6.00
योग	150	50.00	150	50.00	300	100.00

स्त्रोत : क्षेत्रिय सर्वेक्षण से उपलब्ध जानकारी पर आधारित[6]।

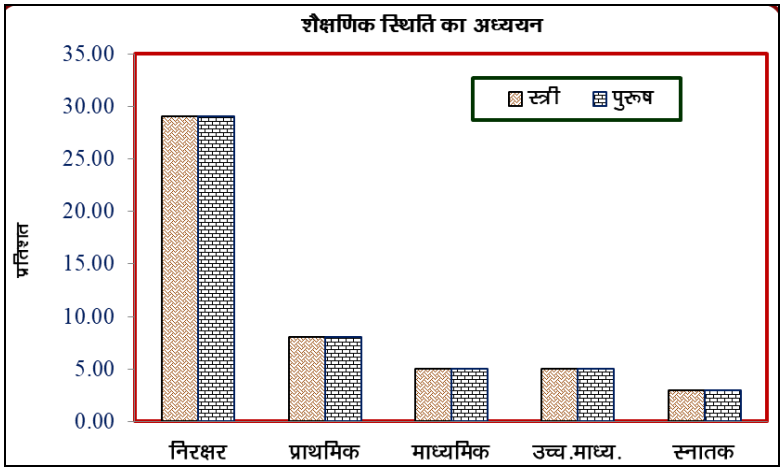

आकृति 1

उपर्युक्त सारणी एवं आरेख से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाता की शैक्षणिक स्थिति का ज्ञान होता है कि 172 उत्तरदाता अर्थात 58 प्रतिशत निरक्षर हैं जबकि 48 उत्तरदाता अर्थात 16 प्रतिशत प्राथमिक स्तर, 30 उत्तरदाता अर्थात 10 प्रतिशत माध्यमिक तथा 30 उत्तरदाता अर्थात 10 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक तथा 20 उत्तरदाता अर्थात 6 प्रतिशत स्नातक उत्तरदात शिक्षित हैं।

निष्कर्ष

जनजाति समाज में साक्षरता का प्रतिशत अत्यंत कम है। पूर्व पीढ़ी की शैक्षणिक स्थिति अत्यंत निम्न स्तर की है किन्तु धीरे धीरे शिक्षा का महत्व एवं ज्ञान होने से रूचि में वृद्धि हुई है। वे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत हैं। अन्धविश्वास के कारण वे सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। जनजाति समाज में धार्मिक पर्वों

और त्यौंहारों का महत्व है। अतः वे प्रचलित पारम्परिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं किन्तु बाह्य सम्पर्क के फलस्वरूप वे धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। किन्तु यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से चल रही है। जिले की जनजाति को विकास कार्यक्रमों ने प्रभावित किया है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, राजनैतिक अवसर तथा आरक्षण ने स्थिर समुदाय को गति प्रदान की है।

जनजाति समाज के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जनजाति में शिक्षा के प्रति अरूचि पायी जाती है। माता–पिता की धारणा है कि बच्चों को शाला भेजने से समय की बर्बादी होती है। बच्चे विशेषकर बालिकाएं घर व खेत में कार्य करेंगी तो आय प्राप्त होगी। पढ़ने के पश्चात जीवन निर्वाह के लिये आय उपार्जन आवश्यक है तो अभी से ही उपार्जन करना प्रारंभ कर दिया जाये।

जनजाति अपनी कुल आय में से शिक्षा पर अत्यंत कम व्यय करते हैं जिसमें विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा पर व्यय करना उनकी दृष्टि में अपव्यय है क्योंकि लड़कियों का विवाह हो जायेगा अतः उनका शिक्षित होने की अपेक्षा गृह कार्यों एवं कृषि कार्यों में निपुर्ण होना आवश्यक है ताकि विवाह के पश्चात आर्थिकोपार्जन में पत्नी के रूप में सहयोगी बने।

जनजातियों की शिक्षा के धीमे विकास का एक महत्वपूर्ण कारण उपयुक्त शिक्षकों की कमी है। अधिकतर गैर जनजातीय शिक्षकों को जनजातीय समाज की भाषा, रहन–सहन, मूल्यों का ज्ञान नहीं होता जिसके कारण शिक्षक छात्र के सद्भावनापूर्ण सम्बंधों की स्थापना नहीं हो पाती जिससे शैक्षणिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है।

बाध्य शिक्षकों की नियुक्ति के कारण बच्चे भय व संकोच के कारण शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार जनजातीय बच्चों को शिक्षा देने के लिये नियुक्त अध्यापकों के प्रति आदिवासी अभिभावकों की प्रवृति नकारात्मक है। क्योंकि अध्यापकों को जनजातीय भाषा, जीवन के तरीके, मूल्य प्रणाली की जानकारी अत्यंत कम है, जिससे छात्रों एवं अध्यापकों में सामंजस्य का अभाव है।

जनजातियों में शिक्षा की स्थिति अत्यंत पिछड़ी हुई है। अभी भी जनजाति शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। न केवल बहुत कम बच्चे शालाओं में प्रवेश लेते हैं बल्कि प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राओं में एक या दो वर्षों के पश्चात अध्यापन बन्द करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रायः प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के पश्चात आदिवासी छात्र–छात्रायें पढ़ाई बन्द कर देते हैं। इन वर्गों में तकनीकी स्तर अथवा विश्वविद्यालयीन स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने में वे असफल हैं। एक अध्ययन के अनुसार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे जनजातीय समुदाय के छात्रों की सहभागिता 3.9 प्रतिशत है जो सामान्य जन से काफी पीछे है।

जनजाति में साक्षरता का प्रतिशत अत्यंत कम है। विशेषकर महिलाओं में यह प्रतिशत अत्यंत ही कम है। महिलाओं की शैक्षिक स्थिति निम्नतम है। जनजातीय अभिभावकों का मत है कि लड़कियों को अधिक शिक्षित करने से लाभ नहीं है। बल्कि कृषि कार्य एवं घरेलू कार्य में परिवार का हाथ बंटाना आवश्यक है। जनजातीय समाज में भ्रांति प्रचलित है कि लड़कियॉ अधिक शिक्षित होने के कारण अधिक आधुनिक हो जाती हैं एवं परिवार के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई अनुभव करती है। यही कारण देश की अनुसूचित जनजाति में साक्षरता का दर 30 प्रतिशत है, जो सामान्य दर के करीब 23 प्रतिशत कम है। महिलाओं में साक्षरता की स्थिति और भी खराब है। देश में केवल 18.19 प्रतिशत जनजातीय महिलायें ही साक्षर हैं यानि प्रत्येक 10 जनजाति महिलाओं में से केवल दो महिलायें साक्षर हैं, शेष 8 निरक्षर हैं।

जनजातीय शिक्षा के विकास में भाषा भी एक बड़ी बाधा है। जनजातीय भाषायें मौखिक हैं जिसकी कोई लिपि नहीं है, जबकि शिक्षा एवं अन्य कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषा में तैयार किये जाते हैं जिसके कारण जनजाति में रूचि की कमी हो जाती है।

बाह्य समाज से सम्पर्क स्थापित करने में ये लोग संकोच एवं कठिनाई का अनुभव करते हैं। इस प्रकार नवीन परिवेश से उनका सम्बंध सीमित हो जाता है जिससे उनका अपेक्षित सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा है। स्वयं का भाषायी ज्ञान एवं अन्य भाषा का सीमित ज्ञान में सामंजस्य स्थापित कर शिक्षा प्राप्त करना एवं कार्यक्रम का लाभ उठाना महिलाओं के लिये दुष्कर कार्य प्रतीत होता है।

जनजाति अशिक्षा के कारण एवं परम्परागत व्यवसाय होने के कारण अन्य लाभप्रद व्यवसाय के स्थान पर वर्षों से कृषि को अपनाये हुये हैं। इसके अतिरिक्त कृषि कार्य के तरीके प्राचीन है जिसके कारण उत्पादन अत्यंत ही कम होता है। कृषि व्यवसाय के रूप में परिवार वनोपज पर ही निर्भर रहते हैं। चूंकि कृषि मानसून पर निर्भर है जिसके कारण निम्न आय होने से अशिक्षा व निर्धनता के कुचक्र में फँसे हुये हैं। निर्धनता के कारण ये लोग बच्चों को शाला भेजने में असमर्थ हैं। क्योंकि शाला भेजने से कमाने वाला एक सदस्य कम हो जायेगा।

संन्दर्भ

1. हसनैन, नदीम (2004) : जनजातीय भारत, जवाहर पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली
2. उपाध्याय, वी.एस. एवं शर्मा, वी.पी. (1998) : भारत की जनजातीय संस्कृति, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
3. अग्रवाल, अमित (2007) : भारत में ग्रामीण समाज, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली
4. जिला शिक्षा कार्यालय, जिला सतना।
5. आदिम जाति कल्याण विभाग, सतना।
6. क्षेत्रिय सर्वेक्षण से उपलब्ध जानकारी पर आधारित।
7. जिला संख्यिकी पुस्तिका, सतना 2011